

न्यायालय नायब तहसीलदार राजगढ़ (अलवर)

संख्या..... 7/..... तारीख दायर 11/09/2020..... दिनांक निर्णय 15/10/2020.....
उनवान

पटवारी हनुका मजोड़ा बनाम उमरनाथ मीना

आज पत्रावली मु.-नायब तहसीलदार पेश हुई। उप./अनु. जवाब पेश किया/नहीं करना चाहता है।
गैरसायल बन्द की जानी है। अतिक्रमी का स. 207-7..... का नया कब्जा होना साबित होता है।
अतिक्रमी काबिल बेदखली है।


आदेश है कि-

रसायल उमरनाथ मीना पुत्र/ पत्नी रामजिहान मीना
पत्नी मीना निवासी इन्दुपुरा
को आराजी खसरा नं. 85/604 रकबा 0.08 किस्म मं. मु. कागावास वाके ग्राम.
इन्दुपुरा से बेदखल किया जाता है, तथा शरह लगान 0.16 की.
50 गुणा में मु. 8/- रजपत्रे कायमी कराई जावें

TRA व पटवारी की पालनार्थ लिखा जावें।

फसल निलामी हेतु गिरदावर/कानुनगो को लिखा जावें।

रा. ले. स. 4 वर्ष 2020-21
के पृष्ठ संख्या 14 पत्र सि. च. व. 08/-
राशि कायम किये गये। फ. नि. 400/-
पिबठ
त. रा. लेखाकार


नायब तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)